

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 586]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 20, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-70-166-2014-तीन-1726.—मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 50-क में यह उपबंधित है कि “निर्वाचनों में मतदान मशीनें” द्वारा मतदान में मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट करें.

2. आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के लिये आयोग के पास उपलब्ध ई.व्ही.एम. के आधार पर यह निर्णय लिया है कि पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 में मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अधीन निर्धारित रीति से जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले जायेंगे और रिकार्ड किये जायेंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किये गये हैं.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से,

हस्ता./-

(दीपक सक्सेना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.